

पोक्सो(POCSO) विषय पर आधारित एक ऑनलाइन

सेमिनार / वर्क शॉप (वेबिनार) कार्यक्रम आयोजित

गुरु नानक कॉलेज, धनबाद के एन एस एस इकाई 1&2 के स्वयंसेवकों के लिए एक
ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन

आज दिनांक 22/05/2020 को गुरु नानक कॉलेज, धनबाद के एन एस एस इकाई 1 & 2 के कुल पैंतीस(35) स्वयंसेवकों ने पोक्सो(POCSO) विषय पर आधारित एक ऑनलाइन सेमिनार / वर्क शॉप (वेबिनार) में सम्मिलित हुए। यह वेबिनार का उद्देश्य बाल यौन शोषण / दुराचार के विरुद्ध जागरूकता लाना है। यह वेबिनार (POCSO) एक्ट के तहत The Rakshin Project के अंतर्गत SAKSHI NGO since 1992 के द्वारा आयोजित किया गया। यह NGO पिछले सत्ताईस वर्षों से देश के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य संस्थानों में बाल यौन शोषण एवं दुराचार के विरुद्ध जागरूकता संबंधित कार्यशाला आयोजित कर विशेष योगदान देती आ रही है।

इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉ अदिति किशोर उपस्थित थीं। उन्होंने POCSO के उद्देश्य को बतलाया। बाल यौन शोषण/दुराचार के विरुद्ध अभिभावकों / शिक्षकों /एवं सभी जिम्मेदार नागरिकों के कर्तव्यों को बतलाया। बच्चों के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार के साथ सेक्स सम्बंधित आधारभूत प्रश्नोत्तरी माध्यम से जागरूकता लाने की विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। बच्चों को निडर रह कर उसके साथ हँस रहे दिनचर्या को साझा करने की आदतों को बढ़ावा देने की बात कही। गुरु नानक कॉलेज के प्राचार्य प्रो पी. शेखर ने कहा की COVID-19 के तहत LOCKDOWN - 4.0 के ऐसे कठिन परिदृश्य में एन एस एस के स्वयंसेवकों को बाल यौन शोषण विरुद्ध जागरूक होने का यह अद्वितीय कार्यक्रम अति सराहनीय रहा। स्मरण रहे की सारे NSS स्वयंसेवकों ने अपने-अपने घरों से ही इस ऑनलाइन कार्यशाला में सम्मिलित हुए थे। उन सभी ने कार्यशाला के तीन चरणों (1) प्री असेसमेंट फॉर्म फिलिंग (2) प्रेजेंटेशन (3) फीडबैक सेशन को सफलता पूर्वक पूरा किया।

गुरु नानक कॉलेज के एन एस एस कार्यक्रम पदाधिकारी (1) प्रादीपक कुमार एवं (2) डॉ मिना मालखण्डी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात इस कार्यशाला का समापन हुआ।

Picture Gallery

THE 2012 LAW

ACCOUNTABILITY
OMISSION IS COMMISSION

POCSO E - BOX (NCPCR.GOV.IN)
or
CHILDLINE (1098)

THE RAKSHIN PROJECT



Navigation icons: back, home, menu

PREVALENCE OF CHILD SEXUAL ABUSE

THE RAKSHIN PROJECT

1 IN 2*

Of all Children in India, have faced or are facing some form of sexual abuse before the age of 18.

DENIAL
SILENCE
SHAME
STIGMA

*A study conducted by Ministry of Women & Child Development in 2007



CHILD SEXUAL ABUSE: CYBER CRIME



Offences that are committed against individuals or groups of individuals, with a criminal motive to intentionally harm the reputation of the victim or cause physical or mental harm, or loss, to the victim directly or indirectly, using modern telecommunication networks such as Internet and mobile devices.



Aditi Kishore's screen



CYBER CRIME: BEHAVIOURS



Cyberstalking: When a victim is repeatedly and persistently followed and pursued online via e-mail or other electronic communication.

Cyber bullying: Acts of harassment, embarrassment, taunting, insulting, or threatening behaviour towards a victim by using internet, e-mail, or other electronic communication.



CYBER CRIME: REPORTING MECHANISMS

- Child Pornography
- Child Sexual Abuse Material
- Rape/Gang Rape content
- Online Cyber trafficking

REPORT HERE:
cybercrime.gov.in



